बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक 27.12.19

संख्या– एफ०एस०सी०–20/2012.......2172(15)....../ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल स्वास्थ्य विभाग के अधीन खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। – (1) यह नियमावली "बिहार खाद्य संरक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नियम–2 में संशोधन। – उक्त नियमावली, 2014 के नियम–2 का खंड (iii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"(iii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग;"

3. बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नियम 6 में संशोधन। –

(1) उक्त नियमावली, 2014 के नियम 6 में वर्णित भर्ती की प्रक्रिया में खाद्य विश्लेषक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता से संबंधित परिशिष्ट–1 के खंड– II के स्तम्भ 5 की कंडिका– (ii) के बाद निम्नलिखित कंडिका– iii को जोड़ी जायेगा :–

(iii) खाद्य विश्लेषक के पद पर नियुक्ति हेतु भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा आयोजित खाद्य विश्लेषक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

(2) उक्त नियमावली, 2014 के नियम 6 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"6. भर्ती की प्रक्रिया।–(1) विभाग वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर, आरक्षण कोटिवार, अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) अधियाचना के आलोक में, आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित के आधार पर मेधासूची तैयार करेगा :–

(क) खाद्य संरक्षा अधिकारी–

(i) परिशिष्ट–। में अंकित अहर्त्ता के स्तम्भ में वर्णित विषयों में बैचलर या समकक्ष डिग्री में प्राप्तांक के लिए	– 70 अंक
(ii) परिशिष्ट–। में अंकित अहर्त्ता के स्तम्भ में वर्णित विषयों में उच्चतर डिग्री के लिए	– 10 अंक
(iii) सरकारी संस्था में समकक्ष कार्य अनुभव हेतु	– 20 अंक
(प्रत्येक पूर्ण छः मास के लिए 2 अंक एवं अधिकतम 20 अंक)	कुल 100 अंक

टिप्पणी–(i) बैचलर या समकक्ष डिग्री के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किया जानेवाला अंक उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.7 के गुणक से गुणा करके विनिश्चित किया जायेगा अर्थात, यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50% x 0.7 = 35 अंक दिये जायेंगे।

(ii) परिशिष्ट–। में वर्णित अहर्त्ताओं में प्रत्येक अनुत्तीर्णता हेतु (–2) अंक होगा।

(iii) सरकारी संस्थान में कार्य अनुभव से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार के कार्यअनुभव।

(iv) उम्मीदवारों के चयन हेतु न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ख) खाद्य विश्लेषक–

(i) परिशिष्ट–। के खंड– II में अंकित अहर्त्ता के स्तम्भ में वर्णित विषयों में बैचलर या समकक्ष डिग्री में प्राप्तांक के लिए – 70 अंक

(ii) परिशिष्ट–। के खंड– II में अंकित अहर्त्ता के स्तम्भ में वर्णित विषयों में उच्चतर डिग्री के लिए – 10 अंक

(iii) सरकारी संस्थानों में खाद्य विश्लेषक के कार्य अनुभव के लिए – 20 अंक

(प्रत्येक पूर्ण छः माह के लिए 2 अंक एवं अधिकतम 20 अंक)

कुल 100 अंक

टिप्पणी–(i) मास्टर या समकक्ष डिग्री के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किया जानेवाला अंक उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.7 के गुणक से गुणा करके विनिश्चित किया जायेगा। अर्थात, यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50% X 0.7 = 35 अंक दिये जायेंगे।

(ii) परिशिष्ट–। के खंड– II में वर्णित अहर्त्ताओं के प्रत्येक अनुत्तीर्णता हेतु (–2) अंक होगा।

(iii) सरकारी संस्थान में कार्य अनुभव से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार के कार्य अनुभव।

(iv) उम्मीदवारों के चयन हेतु न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(3) उपनियम (2) के आधार पर तैयार करने के पश्चात, आयोग के द्वारा, विभाग के सहयोग से, प्रमाणपत्रों की प्रारम्भिक जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच करायी जायेगी और तत्पश्चात अधिसूचित रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार अन्तिम अनुशंसा विभाग को भेजी जायेगी। विभाग के स्तर पर भी प्रमाणपत्रों की जाँच के पश्चात अनुशंसित अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में पूर्ववृत्त संबंधी घोषणापत्र प्राप्त कर लिया जायेगा और उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन (पुलिस भेरिफिकेशन) करा लिया जायेगा।

(4) आयोग की अनुशंसा के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया के सम्बन्ध में सरकार द्वारा, समय–समय पर, निर्गत अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।"

4. बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नियम 13 के परन्तुक का प्रतिस्थापन। – उक्त नियमावली, 2014 के नियम 13 के परन्तुक को निम्नलिखित परन्तुक द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

"परन्तु यह कि अधिकतम ग्रेड–पे/पे–लेवल के पदो पर प्रोन्नति हेतु विचारार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अध्यक्षता खाद्य संरक्षा संवर्ग के उच्चतर पदों के लिए बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य एवं बिहार खाद्य विश्लेषक संवर्ग के उच्चतर पदों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के द्वारा की जायेगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कौशल किशोर)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–एफ०एस०सी० 20/2012 212(19)/ पटना, दिनांक 27/2/19

प्रतिलिपि – ई–गजट शाखा, वित्त विभाग को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–एफ०एस०सी० 20/2012 212(19)/ पटना, दिनांक 27/2/19

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – सभी क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – वित्त विभाग, बिहार, पटना/वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – सभी खाद्य संरक्षा अधिकारी –सह– अभिहित अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/ सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

परिशिष्ट–1
(देखें नियम 2 (ix), 4, 5, 12,15, 16)
बिहार खाद्य संरक्षा सेवा के पद–सोपान, शैक्षणिक अर्हताएँ, आदि

क्रमांक	कोटि	पदनाम	सीधी भर्ती या प्रोन्नति	अर्हता
1	2	3	4	5
I. खाद्य संरक्षा संवर्ग –				
1.	मूल कोटि	खाद्य संरक्षा अधिकारी	सीधी भर्ती द्वारा	i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फूड टेक्नोलोजी या डेयरी टेक्नोलोजी या बायो–टेक्नोलोजी या ऑयल टेक्नोलोजी या एग्रिकल्चर साइन्स या वेटेरीनरी साइन्स या बायो–केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलोजी में डिग्री ; अथवा केमिस्ट्री मे मास्टर्स डिग्री ; अथवा मेडिसिन में डिग्री ; अथव केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष / मान्यता प्राप्त अर्हता ; ii) फुड ॲथोरिटी द्वारा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ अनुमोदित, किसी संस्था या संस्थान में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो ; एवं iii) सरकारी संस्था मे समकक्ष का कार्य अनुभव प्राप्त हो।
2.	प्रथम सोपान	सहायक अभिहित अधिकारी	प्रोन्नति द्वारा	
3.	द्वितीय सोपान	अभिहित अधिकारी	प्रोन्नति द्वारा	
4.	तृतीय सोपान	उप खाद्य संरक्षा आयुक्त	प्रोन्नति द्वारा	
II. खाद्य विश्लेषक संवर्ग –				
1.	मूल कोटि	खाद्य विश्लेषक	सीधी भर्ती द्वारा	i) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलोजी या डेयरी केमिस्ट्री या फूड टेक्नोलोजी, फूड ऐंड न्यूट्रीशन में मास्टर्स डिग्री ; अथवा डेयरी / ऑयल में बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी ; अथवा वेटेरिनरी साइन्स में डिग्री ; अथवा इन्स्टीच्यूशन ऑफ केमिस्ट्स (इन्डिया) द्वारा फुड एनेलिस्ट खंड में संचालित परीक्षा में उत्तीर्णता द्वारा इन्स्टीच्यूशन ऑफ केमिस्ट्स (इन्डिया) का कोई एसोशियेट हो ; अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित ऐसे प्रयोजनार्थ कोई अन्य समकक्ष अर्हता ; ii) खाद्य विश्लेषक का तीन वर्षो से अन्यून अनुभव ; एवं iii) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आयोजित खाद्य विश्लेषक के परीक्षा में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
2.	प्रथम सोपान	वरीय खाद्य विश्लेषक	प्रोन्नति द्वारा	
3.	द्वितीय सोपान	उप निदेशक (प्रयोगशाला)	प्रोन्नति द्वारा	

2.12(15)
27/2/19

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक.................................

संख्या–एफ०एस०सी०–20/2012.............2121(15)/अधिसूचना संख्या .... दिनांक 27/12/19
..का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत का संविधान के अनुच्छेद– 348 के खंड (3) के अंतर्गत अँग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(..............................)
सरकार के संयुक्त सचिव

GOVERNMENT OF BIHAR
HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Patna, Dated 27/12/19

No. F.S.C. – 20/2012 ....2121(15)....../ In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make following Rules to amend the Bihar Food Safety Service Rules, 2014 under the Health Department.

1. Short title, extent & commencement. – (1) These Rules may be called as the "Bihar Food Safety Service (Amendment) Rules, 2019."

(2) It will extend to the whole State of Bihar.

(3) It will come into force at once.

2. Amendment in rule-2 of the Bihar Food Safety Service Rules, 2014. – In rule-2 of the said Rules 2014, clause (iii) shall be substituted by the following :–

"(iii) 'Commission' means Bihar Technical Service Commission;"

3. Amendment in rule-6 of the Bihar Food Safety Service Rules, 2014. –

(1) The Following para III shall be added after para (ii) of Column 5 of clause II of the appendix- I relatig to the qualifications for the direct recruitment on the post of food analyst as meantion in procedure for recruitment in Rule 6 :-

(iii) For appointment to the post of food analyst candidate must have to pass the examination held by FSSAI, New Delhi.

(2) The rule-6 of the said Rules 2014 shall be substituted by the following:-

"6. Procedure for recruitment. – (1) The Department, after calculating vacancy on the basis of position as on 1st April of the year and getting roster cleared, shall send requisition based on categorywise reservation to the Commission latest by 30th April.

(2) In light of requisition, the Commission shall invite applications by advertising vacancies and shall prepare merit list on the basis of following:-

(a) Food Safety Officer –

(i) For marks obtained in Bachelor or equivalent Degree in the subjects mentioned in Qualification Column of Appendix-I – 70 Marks

(ii) For higher degree (subjects) in qualification column of Appendix-I – 10 Marks

(iii) Work experience from Government insititute or equivalent – 20 Marks

(2 marks for every six months and maxium 20 marks) Total 100 Marks

Note – (i) The marks to be given to a candidate for bachelor or equivalent degree shall be determined by multiplying percentage of marks obtained in the examination of aforesaid course by multiple of 0.7. For example, if a candidate has obtained 50% marks, he will be given 50% X 0.7 =35 marks.

(ii) For every failure, candidate should be awarded negative 2 marks mention in Qualification column of Appendix-I

(iii) Work experience of Government Institutions means work experience under the Central Government, State Government or any other State Governments.

(iv) It will be compulsory for the candidates to have 33% marks for selection to qualify.

(b) Food Analyst –

(i) For marks obtained in Bachalor or equivalent Degree in the subjects mentioned in Qualification Column of section II of Appendix-I – 70 Marks

(ii) For higher degree (subjects) in qualification column of section II of Appendix-I – 10 Marks

(iii) Work experience for food analyst in Government Institutes – 20 Marks

(2 marks for every six months & maximum 20 marks)

Total 100 Marks

Note – (i) The marks to be given to a candidate for Master or equivalent degree shall be determined by multiplying percentage of marks obtained in the examination of aforesaid course by multiple of 0.7. For example, if a candidate has obtained 50% marks, he will be given 50% X 0.7 =35 marks.

(ii) For every failure, candidate should be awarded negative 2 marks mention in Qualification column of section II of Appendix-I

(iii) Work experience of Government Institutions means Central Government, State Government or any other State Governments.

(iv) It will be compulsory the candidates to have 33% marks for selection.

(3) After preparing merit list on the basis of sub-rule (2), preliminary scrutiny of the certificates and medical checkup shall be conducted by the Commission with the cooperation of the Department, and thereafter, based on categorywise reservation final recommendation, in accordance with the requisitioned vacancies, shall be sent to the Department. At the level of Department also, after scrutiny of certificates, a declaration regarding antecedents of the recommended candidates shall be obtained in the prescribed form and their antecedents shall be caused to be verified by the Police.

(4) After recommendation of the Commission, compliance of instructions issued by the Government, from time to time, with respect to the procedure of appointment, shall be necessary."

4. Substitution of proviso to rule-13 of the Bihar Food Safety Service Rules, 2014. – The proviso to rule-13 of the said Rules 2014 shall be substituted by the following:-

"Provided that the meeting of the Departmental Promotion Committee to consider promotion in the maximum grade-pay/pay-level shall be presided over by the Chairman or any Member of the Bihar Technical Staff Selection Commission and for the higher posts of the Bihar Food Analysist Cadre, the meetting will be presided by the Chairman or any member of The Bihar Public Service Commission.

By order of the Governor of Bihar,

(Kaushal Kishore)
Joint Secretary of Govt.

Memo No. - FSC/20/2012- 212(15) **Patna/Dated :** 27/12/19

Copy : Superitendent, E-Gazette Section, Finance Department and request to publish it in Extraordinary Gazatte of Bihar.

Joint Secretary of Govt.

Memo No. - FSC/20/2012- ..212(15)... Patna/Dated : ..27.12.19....

Copy : A.G , Bihar, Patna for information and necessary action.

Copy : Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister of Bihar/ PS to Hon'ble Health Minister, Bihar, Patna/ P.S to Principal Secretray, GAD, Bihar, Patna/ Principal Secretary, Cabinet Secretariat Department, Bihar, Patna/Principal Secretary, Finance Department, Bihar, Patna / Principal Secrerary/ Secretary, Health Department, Bihar, Patna/ Food Safety Commissioner, Bihar, Patna/ Secretary, Law Department, Bihar, Patna/ Joint Secretary, Health Department & Director - in- Chief, Health Services, Bihar, Patna for information and necessary action.

Copy : Secretary, BPSC, Bihar, Patna / Secretary, BTSC, Bihar, Patna for information & necessary action.

Copy : Finance (PCFC) Department, Bihar, Patna for information & necessary action.

Copy : All Food Safety Officer - Cum- Desiganated Officer, Bihar for information.

Copy : IT Manager, Health Department, Bihar, Patna for information and uploading on Departmental Website.

Sd/- 27/12/19

Joint Secretary of Govt.

APPENDIX - 1

[See Rule 2 (ix) , 4. 5,12,15,16]

Hierarchy, educational qualification etc. of Bihar Food Safety Service

Sl.No	Category	Name of Post	Direct recruitment or Promotion	Qualifiacation
1	2	3	4	5
I. Food Safety Cadre -				
1	Basic Category	Food Safety Officer	By Direct Recruitment	i) A Degree in Food Technology or Dairy Technology or Bio-technology or Oil Technology or Agriculture Science or Veterinary Sciences, or Biochemistry or Microbiology; or Master's /Degree in Chemistry ; or Degree in Medicine from a recognized University ; or any other equivalent / recognized qualification notified by the Central Government ; ii) Has successfully completed training in a recognized institute or institution approved by the Food Authority for training purpose; and iii) Work experience from Government Institute or equivalent.
2	First Ladder	Assistant Designated Officer	By Promotion	
3	Second Ladder	Designated Officer	By Promotion	
4	Third Ladder	Deputy Food Safety Commissioner	By Promotion	
II. Food Analyst Cadre -				
1	Basic Category	Food Analyst	By Direct Recruitment	i) Master's Degree in Chemistry or Bio-Chemistry or Micro-biology or Dairy Chemistry or Food Technology, Food and Nutrition; or holds Bachelor of Technology in Dairy /Oil; or holds degree in Veterinary Sciences from a University established in India by law ; or is an Associate of the Institution of Chemists (India) by examination in the section of Food Analysts conducted by the Institution of Chemists (India); or any other equivalent qualification recognized and notified by the Central Government for such purposes ; ii) Has not less than three years experience in the analysis of food ; and iii) Candidate must have to pass the examination of Food Analyst held by FSSAI, New Delhi.
2	First Ladder	Senior Food Analyst	By Promotion	
3	Second Ladder	Deputy Director (Laboratory)	By Promotion	